न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 08, फर्रुखाबाद।

परिवाद संख्या–3157/2019

निहाल खां प्रति धर्मेन्द्र आदि।

थाना–राजेपुर।

जिला– शमसाबाद।

दिनांक 30–05–2019

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी, किन्तु परिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली का परिशीनल किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रश्नगत परिवाद में परिवादी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० प्रस्तुत करने के अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु परिवादी द्वारा आज तक धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी उक्त परिवाद की कार्यवाहीं से निरन्तर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही आगे चलाने का इच्छुक नहीं है। पत्रावली पत्र ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं जिससे अभियुक्तगण को प्रथम दृष्टया तलब किया जा सके। अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. के अधीन निरस्त होने योग्य है।

तदनुसार परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. के अधीन निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष संख्या 08, फर्रुखाबाद।